osdgad@gmail.com 244 233

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक सी 3–13/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 15 अगस्त, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यपदेश.

विषयः–राज्य शासन के विभागों तथा निगम, मण्डल, उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करने बाबत।

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 1224–764–1–3–65, दिनांक 17 जून, 1965.

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा किसी एक शासकीय विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों के मामलों में जांच कार्यवाही करने, दण्ड अधिरोपित करने तथा दीर्घ शास्ति के मामलों में सेवाएं उनके मूल विभाग को वापस करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 20 (2) (तीन) में भी निम्नानुसार प्रावधान है :–

"यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लेखित की गई शस्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाए, तो वह उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकरण के अधिकार में पुनः दे देगा तथा जांच की कार्यवाहियां उसकी ओर भेज देगा और तदुपरान्त उधार देने वाला प्राधिकारी, यदि वह आनुशासिक प्राधिकारी हो, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे, या यदि वह अनुशासिक प्राधिकारी न हो, तो वह मामला आनुशासिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो कि मामले में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।"

2/ माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर द्वारा याचिका डब्ल्यू.पी. क्रमांक 1384/2012 द्वारा श्री भगवान सिंह भदौरिया एवं अन्य में दिनांक 21.12.2012 के निर्णय पारित करते हुए निर्देशित किया गया है कि :–

राज्य शासन के विभागों तथा निगम, मण्डल, उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो या न्यायालय में विचाराधीन हो या जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित किया गया हो, के विरूद्ध उनके संबंध में लागू सेवा नियमों (जिनके अंतर्गत उनके सेवाएं शासित होती है) के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावें।

3/ अतः सभी विभाग, विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उनकी स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होता है अथवा न्यायालय में विचाराधीन है या किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित किया गया हो तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उन पर लागू प्रचलित सेवा भरती नियमों, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत् तत्काल नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4/ उक्त निर्देश राज्य शासन के विभागों के अलावा राज्य शासन के निगम, मण्डल, उपक्रमों, आयोगों, संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक अगस्त, 2013

पृष्ठां क्रमांक सी 3–13/2013/1/3,
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
14. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
15. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

osjd.gad@gmail.com